Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 1, April-2018, ISSN 2230-7540

भारत में कारागृह प्रणाली का विकास

Dr. Narendra Kumar*

Assistant Professor, Sociology, Govt. Arts College, Sikar, Rajasthan

सार- ***अपराध एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं है। इससे न केवल समाज की विकास प्रक्रिया अवरूद्ध होती है वरन् नवीन आपराधिक गतिविधियों को भी उभरने का मौका मिलता है। इसी कारण हर समाज अपराधियों से घृणा करता है। समाज अपराध को नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई प्रणाली अपनाता है। कारागृह व्यवस्था भी इसी प्रकार की एक प्रणाली है। कारागृह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि विचलनकारी व्यक्ति को समाज में रहने व सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उसे एक सीमित क्षेत्र में निरूद्ध कर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने कृत्य पर पुनःविचार कर सके। इस प्रकार अपराधी की सामाजिक सक्रियता को प्रतिबंधित करने व कृत्यों के प्रति स्वानुभूति करवाकर उसमें सुधार करने के लिए कारागृह व्यवस्था का जन्म हुआ।***

प्रधान अवधारणाएं- ***विचलन***, ***समाजीकरण***, ***विसमाजीकरण***, ***पैरोल***, ***प्रोबेशन।***

----------X----------

अपराध-विहीन समाज मात्र कल्पना की विषय वस्तु है। चिन्तक व विचारकों के साथ साथ आम जनता में अपराधियों को दी जाने वाली सजा के संबंध में अनेक विचार विद्यमान रहे हैं। प्रारंभ में अपराधियों को दण्ड के रूप में अधिकतम यातना देने का समर्थन किया जाता था। यातना एक ओर अपराधियों को सबक सिखाती थी वहीं दूसरी ओर जन-सामान्य के मन में भय व आतंक पैदा कर उन्हें अपराध से दूर रखने में मदद करती थी। आंख के बदले आंख व हाथ के बदले हाथ जैसे नियम इसी प्रकार के दण्ड विधानों को प्रकट करते हैं। समय के साथ अपराधियों के प्रति यह धारणा बदली। अब अपराध को व्यक्ति के उचित समाजीकरण (Correct Socialization) के अभाव का परिणाम माना जाने लगा। अतः यह कहा गया कि अगर विचलनकारी व्यक्ति का विसमाजीकरण (De-Socialization) कर पुनःसमाजीकरण (Re-Socialization) कर दिया जाये तो वह सामाजिक इकाई के रूप में समाज के लिए प्रकार्यात्मक (Functional) हो सकता है। अतः यातना देने की बजाय उसे सुधारने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। आधुनिक कारागृह संस्था इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई।

सरल शब्दों में कारागृह संस्था को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है "विसमाजीकरण तथा पुनः समाजीकरण की प्रक्रिया से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कारागृह राज्य द्वारा संचालित एक दण्ड संस्था है जहां अपराधियों को दण्ड भोगने व सुधार हेतु रखा जाता है। यहां उन व्यक्तियों को भी रखा जाता है जिन पर मुकदमा चल रहा होता है।"

कारागृह संस्था के निर्माण के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य प्रकट होते हैं:-

1. राज्य की शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना
2. सामान्य जन में भय उत्पन्न करना।
3. अपराधी के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाकर मानसिक पीड़ा पहुंचाना।
4. गंभीर दण्डों को समाप्त करना।
5. अपराधियों में सुधार करना।
6. अपराधियों की समाज की प्रतिक्रिया से सुरक्षा करना।

यदि हम कारागृह के इतिहास पर एक नजर डालें तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में कारागृह प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। मानव सभ्यता के आखेट व पशु-पालन युग में भी कारागृह संस्था की आवश्यकता नहीं थी। जब सत्ता का केन्द्रीय स्वरूप उभरने लगा तो कारागृह भी अस्तित्व में आने लगे। आरंभिक कारागृहों में अपराधियों को बिना किसी वर्गीकरण के एकसाथ कोठरियों में भर दिया जाता था। स्त्री, पुरुष व बच्चे एक साथ रहते थे। 1597 से पूर्व कारागृहों का प्रामाणिक इतिहास व विवरण नहीं मिलता है। डॉ. सेठना का मत है कि 1597 से पूर्व

www.ignited.in

भी कारागृह संस्था स्थापित हो चुकी थी परन्तु उनकी स्थिति इतनी भयावह थी वहां इंसानों को चूहों व सूअरों की भांति रखा जाता था। ऐसी कारागृह संस्थाएं प्रतिशोध की भावना पर आधारित थी। 18 वीं सदी में जालीदार कारागृहों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। कारागृहों की स्थिति में वास्तविक सुधार 19 वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुए। कैदियों के मानवाधिकारों की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने इस ओर ध्यान दिया। इनमें इंग्लैंड के जॉन हावर्ड तथा एलिजाबेथ फ्राई के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके प्रयासों के कारण अपराधियों के रहन सहन व आवास के प्रति मानवीय रवैया अपनाया जाने लगा।

1590 के दशक में एम्सटर्डम में पश्चिमी देशों का प्रथम महिला कारागृह अस्तित्व में आया। 18 वीं सदी के प्रारंभ में पोप क्लेमेंट ने रोम के सैन माइकेल में सेलुलर जेल का निर्माण करवाया। इस मॉडल को दूसरे देशों ने भी अपनाया। अमेरिका में कारगृह सुधार का श्रेय क्वेकर आन्दोलन को जाता है। इस आन्दोलन के कारण अपराधियों को अब छोटी-छोटी कोठरियों में बंद किया जाने लगा ताकि कैदी एक-दूसरे की बुरी आदतें न सीखें। परन्तु इस पृथक्करण से कैदियों में अलगाव व एकाकीपन के कारण विक्षिप्तता, मायूसी बढ़ने लगी। अतः एकाकी कैदीकरण के स्थान पर दिन में सामुहिक वार्तालाप व अन्तःक्रिया की स्वतंत्रता दी गई। परन्तु रात के समय उन्हें कोठरियों में बंद कर दिया जाता था।

सर वाल्टर क्राफ्टन आयरलैंड में एक कारागृह अधिकारी थे। क्राफ्टन ने कैदियों के लिए अंक प्रणाली विकसित की। उन्होंने कैदियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इस प्रणाली में प्रत्येक कैदी को उसके चाल चलन के आधार पर कुछ निश्चित अंक दिए जाते थे तथा प्राप्तांकों के आधार एक निश्चित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता था। तृतीय श्रेणी से द्वितीय में आने पर अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इस प्रकार प्रथम श्रेणी में एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले कैदी को अंत में रिहा कर दिया जाता था।

कारागृह सुधार की प्रक्रिया में बाल अपराधियों के लिए प्रथम सुधार गृह न्यूयॉर्क के रैन्डाल द्वीप में बनाया गया। बोस्टन में भी इसी प्रकार का सुधार गृह बना। 1894 में ग्लैडस्टोन कमेटी ने कारागृहों में व्यर्थ के परिश्रम की समाप्ति, कैदियों के वर्गीकरण में सुधार एवं बाल अपराधियों के लिए पृथक सुधार गृहों की जोरदार सिफारिश की। 1898 में इंग्लैंड में कारागृह अधिनियम बना।

भारत में कारागृह के विकास को अनेक विचारक वैदिक काल में ढूंढते हैं। यद्यपि उस समय दण्ड व्यवस्था थी परन्तु कारागृह व्यवस्था के विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलते हैं। डॉ सुशील चन्द्र का मत है कि भारत में कारागृह प्रणाली की व्यवस्थित स्थापना अंग्रेजों ने की थी ताकि वे इस देश में ठीक से शासन चला सकें।

डॉ. एन. वी. सिंह भारत में कारागृह व्यवस्था का विकास राजतंत्र के साथ जोड़ते हैं। उनका मत है कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कारागृह व्यवस्था अस्तित्व में थी तथा अपराधियों को यहां रखा जाता था।

भारत में प्रथम कारागृह सुमात्रा में बंकुलेन नामक स्थान पर 1787 में हुई। यहां कैदियों से कड़े अनुशासन में कृषि कार्य करवाए जाते थे। 1823 में भारतीय कारागृह को पेनांग में स्थानांतरित कर दिया गया जहां कैदियों से सड़क बनाने, जंगल काटने, ईंट बनाने जैसे कार्य करवाये जाते थे। 1860 के दशक में कारागृहों व्यवस्था में कुछ सुधार हुए। जनरल मान ने कैदियों में से ही एक व्यक्ति को उनका वार्डन नियुक्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। उन्होंने कैदियों के हितार्थ कारागृहों में वर्कशोप व उद्योग धंधे भी स्थापित किये। भारत के अण्डमान में भी कारागृह की स्थापना की गई। यहां पर कैदियों को द्वीप पर पुलिस की सुरक्षा में 6 माह तक कोठरी में रखा जाता था तत्पश्चात उन्हें कोई न कोई कार्य आवंटित कर दिया जाता था।

भारत में समय-समय पर कारागृह सुधार की विभिन्न सरकारी समितियों का निर्माण हुआ। ये समितियां निम्नलिखित थीः-

1836 की सुधार समितिः- इस समिति का नाम 'कारागृह सुधार समिति 1836 '(Prison Reform Committee 8036) था। इस कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव दिएः-

1. कैदियों से सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर कार्य नहीं करवाने चाहिए।
2. समय-समय पर कारागृहों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
3. कारागृहों में फैलने वाले रोगों जैसे हैजा व महामारियो को रोकने हेतु नियमित सफाई रखी जानी चाहिए।

1836 की इस सुधार समिति के गठन के बाद सरकार ने अनुभव किया कि कारागृहों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। अतः सरकार ने समय-समय पर निरंतर पांच समितियां बनाई जिन्हें क्रमश प्रथम, द्वितीय, तृतीय,

www.ignited.in

चतुर्थ व पंचम कारागृह सुधार समिति के नाम से जाना जाता है।

प्रथम कारागृह सुधार समिति 1838 में बनाई गई। लॉर्ड मैकाले के योगदान से बनी इस समिति ने कारागृहों की दूषित स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस समिति ने एक केंद्रीय कारागृह की सिफारिश की। इस केंद्रीय कारागृह में केवल उन्हीं कैदियों को रखा जाना चाहिए जिन्हें 1 वर्ष से अधिक का कारावास मिला हो। ऐसे कारागृह में 1000 कैदियों के रखने की व्यवस्था हो। केंद्रीय कारागृह के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय कारागृह के सुधार हेतु समिति ने कहा कि प्रत्येक प्रांतीय कारागृह में एक निरीक्षक होना अनिवार्य है। इस निरीक्षक का कार्य कारागृह का निरीक्षण करना वह हर प्रकार की सुविधा बनाए रखना होगा।

द्वितीय कारागृह सुधार समिति 1862 में बनी। इस समिति का उद्देश्य कारागृहों में फैलने वाले गंभीर रोगों के विषय में सर्वेक्षण करना तथा रोकथाम के उपाय बताना था। इस समिति ने विस्तृत अध्ययन कर सुझाव दिया कि कारागृह में नियमित सफाई के अतिरिक्त अच्छे भोजन व बिस्तरों की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए है। इन सबके अलावा चिकित्सा सुविधा भी जरूरी बताई गई। अतः प्रत्येक कारागृह में एक चिकित्सक की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। इस समिति ने कैदियों के विस्तृत वर्गीकरण का भी सुझाव दिया तथा कैदियों को अपराध की गंभीरता एवं प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किए जाने की अनुशंसा की।

इस प्रकार पांच समितियां बनाई गई। इन समितियों के सिफारिश के आधार पर कारागृह अधिनियम, 1894 बनाया गया।

कारागृह अधिनियम, 1894 अधिनियम का उद्देश्य पूरे भारत में सभी कारागृहों को समान बनाने के साथ-साथ कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं को भी समरूप बनाना था। इस अधिनियम ने अपराधियों के वर्गीकरण को तार्किक बनाने व उनको दिये जाने वाले दण्ड के स्वरूप बदलने की सिफारिश की। कठोर शारीरिक यातनाओं (जैसे कोड़े मारना) को समाप्त किया गया।

भारतीय कारागृह समिति 1919-20:- इस समिति को कार्ड्यू समिति भी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष सर अलक्जेंडर कार्ड्यू थे। इस समिति ने भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड, हांगकांग, बर्मा, फिलिपेंस व जापान जैसे देशों के कारागृहों का अध्ययन व सर्वेक्षण किया तथा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। समिति के निष्कर्षों का सार यह था कि भारतीय कारागृह सुधार अभियानों के द्वारा अब तक कैदियों के केवल रहन-सहन तथा भोजन में ही सुधार हुआ है। कैदियों के चरित्र व व्यवहार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इस समिति का सुझाव था कि जब तक कैदी कारागृह में है उन पर ऐसे प्रभाव डाले जाने चाहिए जिससे वे भविष्य में अपराध से दूर रहने के साथ-साथ चरित्र में भी सुधार कर सके। इस समिति का सुझाव था कि कैदियों व अपराधियों के व्यवहार में सुधार केवल कठोरता से नहीं हो सकता बल्कि मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सुधार का अर्थ अपराधी को यह अनुभव करवाना था कि उसका कृत्य अनुचित था। इस हेतु यह निश्चित कर दिया गया कि प्रत्येक कारागृह का निरीक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए। अतः अनुभवी पुलिस अधिकारियों या सेना के डॉक्टरों को निरीक्षक अधिकारी के योग्य माना गया।

इस समिति ने प्रत्येक कारागृह में चिकित्सा सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था, प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति, आकस्मिक व आदतन अपराधियों के आवास संबंधी पृथक्करण पर भी जोर दिया। इस समिति का सुझाव था कि कैदियों को आपस में मिलने-जुलने व बात करने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। कैदियों से अनावश्यक परिश्रम नहीं करवाने तथा परिश्रम को उत्पादक बनाने की सिफारिश की गई। शारीरिक यातनाओं को पुनः अनुचित ठहराया गया तथा कैदियों को समय-समय पर अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखने की सुविधा दी जाने, परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने, अच्छे साहित्य व समाचार पत्रों की व्यवस्था की अनुशंसा की गई। इस समिति ने कुछ शर्तों पर कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की भी राय दी। इस समिति का सुझाव था कि प्रत्येक कैदी को उसके कारावास की अवधि समाप्त होने पर कुछ धन मदद के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि वह अपना जीवन प्रारंभ कर सके। बाल अपराधियों के लिए अलग से करागृहों की व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी हो। देश निष्कासन के दंड को कम किए जाने की जरूरत भी महसूस की गई है।

महात्मा गांधी ने भी अपराधियों व कैदियों के सुधार व कल्याण हेतु कहा था कि अपराधियों को सही रास्ते पर लाने के लिए कारागृहों को चिकित्सालयों में बदल दिया जाना चाहिए तथा कारागृह अधिकारियों को चिकित्सकों के रूप में बदल देना चाहिए।

उक्त सभी अधिनियमों, समितियां के प्रभाव के कारण भारत की कारागृह प्रणाली में व्यापक बदलाव हुए। वर्तमान में भारत में मुख्यतः तीन प्रकार के कारागृह पाए जाते हैं:-

(अ) अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृहः- एक राज्य में तीन प्रकार के अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृह मिलते हैं यथा केन्द्रीय कारागृह, जिला कारागृह व उप कारागृह। केंद्रीय कारागृह का कार्यभार कारागृह अधीक्षक के अधीन और जिला कारागृह के प्रभारी की प्रस्थिति उप अधीक्षक की होती है। केंद्रीय व जिला कारागृह में जेलर, डिप्टी जेलर, वार्डन व डाक्टर इत्यादि के पद होते हैं। कैदियों में से कुछ कैदी जिन्होंने सजा का एक निश्चित हिस्सा भुगत लिया है को कैदी वार्डन के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। केंद्रीय कारागृह में कारागृह कल्याण अधिकारी का पद भी होता है। यह अधिकारी कैदियों के कल्याण संबंधी कार्यों को देखता है। केंद्रीय कारागृह में काष्ठ-कला प्रशिक्षक, रंगाई शिक्षक, लोहार अनुदेशक, दर्जी प्रशिक्षक व बुनाई प्रशिक्षक के पद भी होते हैं।

केंद्रीय कारागृह में कैदियों का पृथक्करण भी किया जाता है। पृथक्करण का उद्देश्य साधारण व आकस्मिक को कठोर, अभ्तस्त व पेशेवर अपराधियों से पृथक कर उनके प्रभाव से बचाना है। वर्तमान में भारतीय कारागृह प्रणाली में लिंग व मानसिक अवस्था के आधार पर कैदियों का पृथक्करण मिलता है। यहां पुरुषों को महिलाओं से, मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदियों को अन्य अपराधियों से पृथक रखा जाता है। जुर्माना न देने या नियमों के साथ छेड़छाड़ कर लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को कारागृहों में सिविल कैदी माना जाता है। इन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। इन्हें व्यक्तिगत साधनों से भोजन, वस्त्र, पुस्तक व समाचार पत्र प्राप्त करने की अनुमति होती है। इन कारागृहों में कैदियों को दण्डित व विचाराधीन कैदियों में विभाजित किया जाता है। दण्डित कैदियों को पुनः साधारण व कठोर सजा प्राप्त कैदियों के रूप में विभक्त किया जाता है।

(ब) आदर्श कारागृहः- अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृहों में दैनिक दिनचर्या एक सी होने से व्यक्तिगत उपचार संभव नहीं था तथा कैदियों को सुधारात्मक दिशा में प्रोत्साहन नहीं मिलता था। अतः प्रत्येक राज्य में एक आदर्श कारागृह बनाने की अनुशंसा की गई। इनमें बाहरी समाज जैसी काम करने की व्यवस्था करने, नये प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाना व वैतन देकर अपराधियों की वैयक्तिक देखभाल करने का दृष्टिकोण अपनाया गया। इस तरह के कारागृह भारत में 1950 के आस-पास अजमेर, लखनऊ, पूना जैसे नगरों में बनाये गये।

(स) खुले कारागृह व कैदी शिविरः- खुले कारागृह निम्नलिखित दृष्टि से खुले होते हैं:-

(1) यहां जनसाधारण व कैदियों के रिश्तेदारों को कैदियों से मिलने हेतु उनकी इच्छानुसार मुक्त प्रवेश दिया जाता है।

(2) कैदियों को उनकी इच्छानुसार बाजार जाने की स्वतंत्रता होती है।

(3) कैदी स्वयं अपनी देखभाल करता है।

(4) यहां कारागृह की मोटी दीवार, ताले इत्यादि नहीं होते हैं।

इस प्रकार खुला कारागृह सुरक्षा, संगठन, मूल समाज के साथ अन्तःक्रिया की दृष्टि से खुला होता है।

खुले कारागृह की विशेषताएं

खुले कारागृह के निम्नलिखित पांच लक्षण होते हैं।

(1) कारागृह प्रशासन का सारा कार्य कैदी ही देखते हैं।

(2) कैदियों द्वारा स्वयं अपने भोजन व वस्त्रों की जाती है।

(3) खुले कारागृह का अनुशासन कैदियों के आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन पर निर्भरकरता है।

(4) कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा दी जाती है।

(5) यहां एक दिन के आवास के लिए सजा में एक दिन की कमी कर दी जाती है।

खुली कारागृहों की उत्पत्तिः-

रूस , इंग्लैंड व अमेरिका में कैदियों से कारागृह से बाहर कार्य करवाने की व्यवस्था भारत में खुली कारागृहों की स्थापना से 20-25 वर्ष पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था। रूस में 1925 से ही कैदी नहर खुदाई का कार्य करते रहें हैं। इंग्लैंड में 1930 में 240 कैदियों के लिए एक खुला कारागृह स्थापित किया गया था जहां उन्हें कृषि व उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाता था।

भारत में 1836 से 1919 तक जितनी भी कमेटियां बनी उन्होंने कैदियों से बाहर कार्य करवाने की व्यवस्था का विरोध किया, फिर भी पंजाब सरकार ने 1927 में कारागृह में रखे गए कैदियों तथा परिवीक्षा पर छोड़े गए कैदियों के लिए दो सरकारी सुधारात्मक कृषि फार्म खोले परन्तु कुछ समय बाद बंद कर दिए गए। भारत में सर्वप्रथम खुला कारागृह अक्टूबर

www.ignited.in

1952 में वाराणसी के चकिया तहसील में चन्द्रप्रभा नदी पर बांध बनाने हेतु स्थापित किया गया। इसकी सफलता देखते हुए अक्टूबर 1953 में करनासा नदी पर बांध बनाने हेतु भी यहां खुला कारागृह स्थापित किया गया। कालांतर में अनेक स्थानों पर इस तरह के कार्य होते रहे।

राजस्थान में इस समय चार खुले कारागृह हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

(1) जयपुर जिले में सांगानेर संपूर्णानंद औद्योगिक शिविर जो फरवरी 1963 में स्थापित किया गया था।

(2) जयपुर जिले में ही दुर्गापुरा कृषि शिविर जो सितंबर 1955 में प्रारंभ किया गया था।

(3) सूरतगढ़ कृषि केंद्र जो दिसंबर 1964 में प्रारंभ हुआ। तथा

(4) मंडोर कृषि केंद्र जो मई 1963 में प्रारंभ हुआ।

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में खुले कारागृह मिलते हैं जिनमें कृषि व उद्योग धंधों का प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

भारत में समय के साथ कैदियों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि कारागृहों का आकार छोटा पड़ने लगा है। कारागृहों में क्षमता से दुगुने कैदी निवास करते हैं जिससे कारागृहों की स्थिति भयावह हो जाती है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के कारण मोबाइल के जरिए कैदियों व बाहरी दुनिया के बीच सम्पर्क आसान हो जाने से कारागृह निर्माण के उद्देश्य धूमिल होते दिखाई देने लगे हैं।

संदर्भ पुस्तकें व ग्रंथ:

सेठना, एम जे: सोसायटी एण्ड दी क्रिमिनल, 1964।

चन्द्र, सुशील: सोशियोलॉजी ऑफ डेवियन्स इन इंडिया, एलाइड पब्लिसर्स, बम्बई, 1967।

आहुजा, राम: फिमेल आफेन्डर इन इंडिया, मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1965।

बेकर, होवार्ड, एस: आउट साइडसर्ः स्टडीज इन दी सोशियोलॉजी आफ डेवियन्स, फ्री प्रेस, न्यूयार्क, 1963

क्लेमर डोनाल्ड: दी प्रीजन कम्युनिटी, क्रिस्टोफन पब्लिशिंग हाउस, बोस्टन, 1940।

Corresponding Author

Dr. Narendra Kumar*

Assistant Professor, Sociology, Govt. Arts College, Sikar, Rajasthan